सं0—417 / 69. 1.2000—15(एन0आर0वाई0) / 96

प्रेषक,

श्री एस0आर0लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँकः 10 फरवरी, 2000

विषय :— जिला नगरीय विकास अभिकरण के खातों का जनपद स्तर पर संचालन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश सं0—1175 / 69.1.15 एन0आर0वाई0 / 96, दिनाँक 10.01.1997 द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी कि जिला नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि के खातों का संचालन जनपद में तैनात जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक तथा परियोजना अधिकारी अथवा सहायक परियोजना अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

उपयुक्त शासनादेश दिनाँक 10.01.97 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अब ''जिला नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि'' के बैंक खातों का संचालन जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डूडा तथा परियोजना निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जनपद में स्थित अन्य स्थानीय निकायों में संचालित बैंक खातों ''टाउन—अरबन पावर्टी एलिवेशन फण्ड'' के संचालन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—35 ए / 9—7—96—16 एन0आर0वाई0 / 91 दिनाँक 22.01.1996 के प्रस्तर 7 में दी गई व्यवस्था यथावत् रहेगी लेकिन जनपद मुख्यालय पर स्थित स्थानीय निकायों में टाउन अर्बन पावर्टी एलीवेशन फण्ड'' के खातों का संचालन जिला नगरीय विकास अभिकरण के खातों का संचालन की प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारी जनपद में तैनात राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी सेवा) के अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी के स्तर से निम्न न हों अथवा जनपद में कार्यरत किसी आई0ए0एस0 अधिकारी जिसे जिलाधिकारी उचित समझे, को ही परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण के रूप में नामित करेंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक अतिक्रमित समझे जायेंगें।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में जिला नगरीय विका अभिकरण की समस्त योजनाओं के गठन संचालन एंव अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्मिलित रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से शासन एवं राज्य नागर विकास अभिकरण, उ0प्र0 को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0आर0लाखा)
सचिव

सं0 –417(1)/69.1.2000–15(एन0आर0वाई0)/96 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) समस्त मण्डलायुक्तों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक–3239/सूडा/2000 दिनाँक 02 फरवरी, 2000 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

(4) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव